बिहार सरकार
उद्योग विभाग

निबंधित

पत्रांक...............
5(स0) (ट्रेंनिंग इन्स) 46/2014

दिनांक..................

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री ग्रामीण इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग संस्थान,
श्रीमती विद्या सिन्हा,
पत्नी श्री विरेन्द्र शर्मा
नियामुद्दीनपुर, काको रोड
जहानाबाद

विषयः— **दायर अपीलवाद 46/2014 में पारित आदेश के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री ग्रामीण इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग संस्थान, जहानाबाद बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/—
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1457 दिनांक 06-04-17

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

6/4/17
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
6/4/17

E:\Sachwalay data d\drive g\OLD DATA\drive d\Appealvad 2.doc 43

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 46/2014

सर्वश्री ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद

बनाम

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

29.03.2017

यह अपील मेसर्स ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र, जहानाबाद ,द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 5718 दिनांक 25.09.2014 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को पूर्व में सर्वश्री भास्कर इंडस्ट्रीज के नाम से पी0भी0सी0 शू एवं चप्पल उद्योग की स्थापना करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र जसीडीह में कार्यालय पत्रांक 1265/डी0ओ0सी0 दिनांक 08.12.1981 द्वारा 10000 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया था। इकाई के अनुरोध पर ही जसीडीह के बदले जहानाबाद औद्योगिक क्षेत्र में 10000 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया था। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 5718 दिनांक 25.09.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकनोंपरान्त 'बियाडा' के प्रबंध निदेशक को यह निदेश दिया जाता है कि इकाई के कार्य स्थल का निरीक्षण कराकर निरीक्षण प्रतिवेदन इस बिन्दु पर दें, कि अद्यतन कार्य स्थल पर इकाई द्वारा किस प्रकार की गतिविधि की गई है। तत्क्षण बियाडा द्वारा निर्गत ओदश ज्ञापांक 5718 दिनांक 25.09.2014 को आदेश निर्गत की तिथि से मात्र 15 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। 15 दिनों के पश्चात् स्थगन आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

उभय पक्षों को सूचित करें।

29/3/2017

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

29/3/2017

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

D:mydocument/A.Roy/Adeshfalak